राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2694/2025

रामप्रताप सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, गृह विभाग, जरिये शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.05.2025
आदेश की दिनांक : 05.05.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सिंह डागुर, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में हैड कांस्टेबल के पद से कोटा शहर से सेवानिवृत्त हो चुका है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर हुई थी और अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर अपीलार्थी आदेश दिनांक 13.03.2024 के द्वारा दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हो चुका है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एसीबी से संबंधित मामला लंबित है। विभाग द्वारा अपीलार्थी को पीएल अवकाश की राशि एवं कम्यूटेशन आदि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जबकि अपीलार्थी उक्त समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा आदिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि अन्य कार्मिकों को समस्त लाभ प्रदान किये गये हैं, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभों से वंचित रखा गया

है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 290 दिवस का पीएल (उपार्जित अवकाश) का भुगतान, कम्यूटेशन आदि समस्त लाभ मय ब्याज सहित प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष